

आयालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमू, जिला जयपुर

दिनांक 02/2019

उनवान

हनुमान सहाय कुमावत पुत्र श्री सुगल, जाति कुमावत निवासी 176, बालू की ढाणी,  
ग्राम निवाणा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 04.01.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम निवाणा, पटवार हल्का निवाणा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नांगल भरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खाता संख्या 370 के हाल खसरा नम्बर 429 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.52 हैक्टेयर, कुल किता 9 का कुल रकबा 3.84 हैक्टेयर, जिसमें प्रार्थी का  $1/80$  हिस्सा +  $1/20$  हिस्सा एवं हाल आराजी खाता संख्या 440 के हाल आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 346 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 781 रकबा 0.09 हैक्टेयर, कुल किता 5 का कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का  $1/48$  हिस्सा +  $1/12$  हिस्सा, एवं हाल खाता संख्या 468 के हाल आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.43 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर में प्रार्थी का  $1/60$  हिस्सा +  $1/15$  हिस्सा, हाल खाता संख्या 486 के हाल आराजी खसरा नम्बर 566 रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर में प्रार्थी का  $1/60$  हिस्सा +  $1/40$  हिस्सा, हाल आराजी खाता संख्या 422 के हाल खसरा नम्बर 99 रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा  $1/160$  हिस्सा +  $1/40$  हिस्सा, हाल आराजी खाता संख्या 701 के हाल खसरा नम्बर 306 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 373



उपखण्ड अधिकारी  
चौमू, जिला जयपुर

रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 851 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 852 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 859 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 868 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 870 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 887 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 31 का कुल रकबा 4.32 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/48 हिस्सा एवं हाल खाता संख्या 485 के हाल खसरा नम्बर 839 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 840 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 841 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 843 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 845 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 846 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 847 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 864 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 865 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 866 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 867 रकबा 0.32 हैक्टेयर, कुल किता 15 का कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का 1/24 हिस्सा निहित हैं। प्रार्थी उक्त आराजीयात में निहित राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं।

प्रार्थी का नाम उसके समस्त रिकार्ड राशन कार्ड, आधार कार्ड, इत्यादि में हनुमान सहाय कुमावत दर्ज हैं, किन्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्व कारनुनान की गलती से सहवन से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 370 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 440 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 468 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 486 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 422 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 70 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 485 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, दर्ज हो गया हैं। जिससे

अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया है। भू-प्रबन्ध विभाग ने लापरवाही पूर्ण रूप से रिकार्ड तैयार किया है जो प्रार्थी के वास्तविक सही दर्ज नाम के विपरीत जाकर गलत नाम का अंकन किया गया है, जो काबिले दुरुस्त है।

प्रार्थी को यह अधिकार हांसिल है कि वह श्रीमान के सम्मुख प्रार्थना पत्र पेश कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम खाता संख्या 370 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 440 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 468 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 486 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 422 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 70 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 485 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, के स्थान पर हनुमान सहाय कुमावत पुत्र श्री सुगला दुरुस्ती करवाये।


अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम खाता संख्या 370 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 440 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 468 की आराजीयात में, भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 486 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 422 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 70 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 485 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, के स्थान हनुमान सहाय कुमावत पुत्र श्री सुगला दर्ज किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की कृपा करें।

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता की सुनी गई। प्रा० पत्र, दस्तावेज रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं व बहस का बगोर अवलोकन किया गया। ग्राम निवाणा, पटवार हल्का निवाणा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 370 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 440 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 468 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 486 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 422 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ

भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 70 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 485 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, दर्ज हो गया है। राशन कार्ड, पहचान पत्र एवं पटवारी द्वारा तैयार मौका पर्चा अनुसार वर्तमान रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हनुमान सहाय कुमावत पुत्र सुगला शुद्ध किया जाना तहसीलदार चौमू द्वारा उचित बताया गया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम निवाणा, पटवार हल्का निवाणा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नांगल भरहा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में खाता संख्या 370 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 440 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 468 की आराजीयात में, भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 486 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 422 की आराजीयात में भूदाराम पुत्र सुगल्या, हनुमान उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 70 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, खाता संख्या 485 की आराजीयात में हनुमान सहाय उर्फ भूदाराम पुत्र सुगल्या, के स्थान हनुमान सहाय कुमावत पुत्र श्री सुगला शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमू को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अभिषेक सुराणा  
आई.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर